



कार्यालय सचिव-सह-विकास आयुक्त

विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 5/9 अन्डर हिल रोड, दिल्ली-54

फोन:न० 23955227, फैक्स न० 23957289 ई-मेल: cdevelop@nic.in

No.F. 66(6)/PS/VS/Dev.(HQ)/2015/Pt.file.-/ 2100
सेवा में,

Dated: 07-8-2018

उप निदेशक (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-110054

विषय:- दिल्ली विधान सभा में माननीय विधायक श्री जगदीश प्रधान जी द्वारा उठाया गया
अतारांकित प्रश्न संख्या-150 के सन्दर्भ में

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या-150 जोकि श्री जगदीश प्रधान जी द्वारा उठाया गया इस प्रश्न के विकास विभाग के जवाब की 100 प्रतियां इस पत्र के साथ आपको भेजी जा रही है।

यह जवाब सचिव-सह-विकास आयुक्त, विभागाध्यक्ष की सहमति से भेजा जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्त 100 प्रतिलिपि

भवदीय

No.F. 66(6)/PS/VS/Dev.(HQ)/2015/Pt.file-I/
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अधीक्षक, विकास मंत्री कार्यालय, दिल्ली सरकार, 7 वॉ तल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

पुलासा
(प्रकाश चन्द ठाकुर)
उप सचिव (मु०)
Dy. Secy. (H.Q.)
Dated: 07-8-2018
Development Department
5/9, Under Hill Road,
Delhi-54

(प्रकाश चन्द ठाकुर)
उप सचिव (मु०)

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम :- विकास विभाग

विभाग का पता :- 5/9 अन्डर हिल रोड, दिल्ली-110054

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या :- अतारांकित प्रश्न संख्या-150

दिनांक :-

08.08.2018

प्रश्न कर्ता का नाम :-

श्री जगदीश प्रधान

संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि देश के किसानों को भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि और फसल बीमा का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के किसान इससे वंचित है;	<p>जी नहीं यह सत्य नहीं है। दिल्ली के जो किसान अपनी उपज को भारतीय खाद्य निगम को बेचते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ मिल रहा है।</p> <p>फसल बीमा योजना का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। फसल बीमा केन्द्र सरकार की योजना है तथा इसके तहत 2 कंडिशनस अनिवार्य हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. पिछले 10 वर्षों से फसल काटना प्रयोग (क्रॉप कटिंग प्रयोग)।2. मौसम का पूर्वानुमान लगाने हेतु मौसम पूर्वानुमान प्रयोगशाला। <p>ये सुविधाएं दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। हमने इस संबंध में भारत सरकार से दोनों कंडिशनस से छूट हेतु पत्र व्यवहार किया गया था, ताकि फसल बीमा योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके। भारत सरकार से इस संबंध में उत्तर अपेक्षित है।</p>
ख)	यदि हों तो इसके क्या कारण हैं;	-उपरोक्त-
ग)	सरकार ने अब तक दिल्ली को कृषि राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, इसमें क्या रुकावटें सामने आ रही हैं; और	इस संबंध में कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।
घ)	क्या सरकार दिल्ली का कृषि राज्य का दर्जा पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ताकि यहां के किसानों का केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके ?	<p>-उपरोक्त-</p> <p>फसल बीमा योजना के अलावा केन्द्र सरकार की निम्न योजनाओं को दिल्ली में लागू किया जा रहा है:-</p> <ul style="list-style-type: none">• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।• परमपरागत कृषि विकास योजना।• कृषि तकनीकी प्रबन्धन एजेन्सी (ATMA)।• कृषि अभियान्त्रिकी योजना।

जगदीश प्रधान
08/8/18

Dy. Secy. (H.Q.)
Dev. Department
5/9, Under Hill Road.